

पंजीयन क्रमांक...1215/12...

दिनांक...01-08-2012...

डिस्पेंच नं.1182.....

दिनांक...01-08-2012.....

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर

श्री मोहम्मद गोशाला बुजियाँ की दागी

ग्राम चाँधन पोस्ट चाँधन तहसील जैसलमेर

जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री श्री वचल खाँ (अध्यक्ष) न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला

श्री मोहम्मद गोशाला ने राजस्थान गोशाला

अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के पंजीयन

(रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् मैं सन्तुष्ट हो गया

हूँ, कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः

मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला

पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

माह...अगस्त...

वर्ष...दी एफार १४३४...

रजिस्ट्रार गोशाला, जयपुर

अध्यक्ष

मोहम्मद गोशाला बुजियाँ की दागी

पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवम् उपनिदेशक
गोशाला, राजस्थान, जयपुर

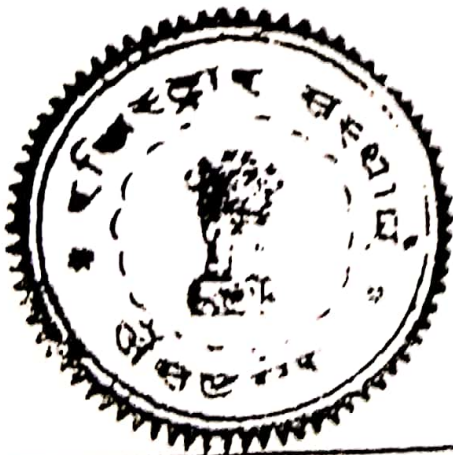


रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....-52./जैसल/2016-2017..

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुजिया विस्थापन
संस्थान सुजियों की हाथी.....जिला जैसलमेर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आन किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आन
दिनांक...द्वितीय...माह...दिसम्बर.....सन् दो हजार...को
जैसलमेर में दिया गया ।



रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AM 511029

शपथपत्र / बन्ध पत्र का (affidavit/Bond) प्रारूप

मैं बचल खा पुत्र श्री खानू खा आयु 55 साल जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुजिया की ढाणी चांदन तह व जिला जैसलमेर मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हू कि मेरी गौशाला का नाम मोहम्मद गौ शाला सूजियों की ढाणी ग्राम चांदन पंचायत शांती पंजीयन संख्या 1215/12 दिनांक 01.08.2012 है।

2/ मेरे पशु शिविर के संचालन का स्थान सूजियों की ढाणी तहसील एवं जिले का नाम जैसलमेर है।

3/ मेरे घोषित पशु शिविर में वर्तमान में अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा छोटे-बड़े कुल पशु संधारित है जो निम्न प्रकार है :

क.स.	पशु शिविर का नाम(स्थान)	राजस्व गांव	पशुओं की संख्या		
			बड़े	छोटे	कुल पशु
1	सूजियों की ढाणी	चांदन	196	10	200
2	खानू खां का पशु, सु. की ढा. हाथी की ढा.	सु. की ढा.	190	10	200
3	शुद्धी खां का पशु	सु. की ढा.	190	10	200
4	मुरे खां का पशु	सु. की ढा.	190	10	200
5	कापरी का पशु	सु. की ढा.	185	9	194
6	पानू मोहम्मद का पशु	सु. की ढा.	192	8	200
7	मिर्जा हाथी का पशु	सु. की ढा.	194	6	200
			कुल पशुओं की संख्या		

4/ मुझे ज्ञात है कि जिला कलेक्टर/राज्य स्तर से मेरे पशु शिविर का आकस्मिक का निरीक्षण विडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।

5/ मैं भली भांति परिचित हू कि आकस्मिक निरीक्षण/विडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पायी जाती है तो मेरे व मेरी संसदी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

6/ मैं पशु शिविर की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करूंगा

7/ जिले द्वारा समय समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालन करूंगा।

तसदीक :- मैं उपरोक्त शपथकर्ता तसदीक करता हू कि शपथपत्र में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य है कोई तथ्य छिपया गया नहीं है

मोहम्मद गौशाला सुजियों की ढाणी